

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज बनाम राज सरकार मु.नं.- 19/24 बाबूलाल किस्म - दादा-177	नम्बर अदालत की द्वारा
02.01.26	अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30.01.26 को पेश ही।	
30-01-26	अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27.02.26 को पेश ही।	
27.2.26	पत्रावली पेश हुई। छादी पड़ा अस्पष्ट। वादी ने अज्ञात क्रमांक में प्रतिवादी सं. 12 छोटी की प्रत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 01 लगा 11, 13 लगा 17 के तबयाना हेतु समय था। आपहित में कतिमा अस्पष्ट दिया जाता है। पत्रावली वाले कायमी मुकाम प्र.पत्र प्रतिवादी सं. 12 एवं तलकी प्रतिवादी सं. 01 लगा 11, 13 लगा 17 दिनांक 19.3.26 को पेश ही।	
<b>उपखण्ड अधिकारी</b> <b>मण्डावर (दौसा)</b>		
19.3.26	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली को बाद-2 भावाज दिलवाई गई। उभय पक्षा अस्पष्ट। पत्रावली लम्बे समय से प्रतिवादी सं. 12 के कायमी मुकाम एवं तलकी में लौपित है। वादी को बाद-2 निर्देशों के बावजूद भी वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 12 के कायमी मुकाम एवं प्रतिवादी	

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला- दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज .....बनाम..... राज. ११८७१५ वाकू लाल मु.नं.- १९/२५ किस्म - ५७७ - १७७ RTA	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>शे. ०१ लगा ११, १३ लगा १७ के लकवाग सम्मन पेश नहीं दिखे और निर्देशों को अपहेलना ही गई। इससे स्पष्ट है कि पक्षकारान प्रजावली में डोई को ऊर्ध्वाधी के लिए इच्छुक नहीं हैं इसलिए प्रजावली पक्षकारान ही अदम हागती ५ अ३५ पैरकी में खरिज की जाती है। प्रजावली कौलल शुमार बेकर जोखिल रफ्तार हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	